



उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ - 226001

दूरभाष : पीओबीएक्स 0 2625439, 2622363, 2628461
फैक्स : 0522-2274526, 2228841, 2274578

पत्रांक: 36 आर0डब्ल्यू0ए0/19-37रो/2014-टी0सी0

दिनांक 15 जून, 2019

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,

समस्त सेवा प्रबन्धक,

समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,

उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषय:- दिनांक 17 जून से 22 जून, 2019 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित परिपत्र संख्या-34/2019/1647/30-3-19-29एम/2014टी.सी., दिनांक 11.06.2019 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से दिनांक 17 जून से 22 जून, 2019 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

उक्त परिपत्र के माध्यम से दिनांक 17.06.2019 से 22.06.2019 तक दिवस वार मनाये जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा का भी निर्धारण किया गया है (प्रति संलग्न), जिसके अंतर्गत वृष्टम दिवस (दिनांक 22.06.2019) के कार्यक्रम में परिवहन निगम की बसों की चेंकिंग एवं चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त कार्यक्रम में विशेष रूप से बसों की फिटनेस एवं रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप की चेंकिंग एवं परिवहन निगम के चालकों हेतु परिवहन निगम के अधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रत्येक डिपो में चालकों हेतु एक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाना है।

अतः उक्त कार्यक्रम में निर्धारित दिवस के अतिरिक्त यदि सम्पूर्ण अवधि में भी चिकित्सा शिविर में लगाकर सभी चालकों का स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण करा लिया जाए तो उचित होगा, ताकि स्वास्थ्य चालक ही बसों का संचालन करें जिससे दुर्घटना की सम्भावना न्यूनतम हो सके। साथ ही सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाये जाने के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति भी हो सके।

उक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या फोटो एवं प्रमाण पत्रा सहित की कितनी बसों को उपरोक्त अनुसार चेंकिंग की गयी तथा कितने चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ विलम्बत दिनांक 24.06.2019 तक अधोस्ताक्षरी को ई-मेल एवं हार्ड कापी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: गथोबत।

(राजेश वर्मा)

मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)

समसंख्यक/समदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्राविधिक), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5. समस्त प्रधान प्रबन्धक/नोडल, अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(राजेश वर्मा)

मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन)